भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1644
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

1644. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के प्रमुख घटकों और लक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीज वितरण, उत्पादकता वृद्धि, अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यकलापों सहित मिशन के अंतर्गत अनुमोदित फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं और संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का राज्य-वार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मिशन के अंतर्गत राज्य-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता संस्वीकृत और जारी की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का अनुमोदन दिया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दलहन में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह मिशन आंध्र प्रदेश सहित 28 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

दलहन मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ाना है, किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूल बीज उपलब्ध कराना और उत्पादन को बढ़ावा देना, दलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना और फसलोपरांत भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। यह मिशन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम–आशा) के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के मानदंडों के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा तुअर, उड़द और मसूर की निश्चित खरीद का भी समर्थन करता है। मिशन के तहत वर्ष 2030-31 के अंत तक 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी औसत उत्पादकता 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के अंतर्गत अधिसूचित किस्मों के ब्रीडर सीड और प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, नवीनतम फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, बीज किट, क्षमता निर्माण, फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, दलहन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान 528 दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों का आवंटन किया गया है, जिसका राज्यवार आवंटन अनुबंध-I में संलग्न है। समर्थित लाभार्थियों की संख्या, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार विवरण अनुबंध-II और अनुबंध-III में देखा जा सकता है, और दलहन मिशन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्यवार आवंटन अनुबंध-IV में दिया गया है।

अनुबंध-I

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत प्रसंस्करण इकाइयों का राज्यवार आवंटन निम्नानुसार है।

(संख्या में)

क्रं.सं.	**राज्य**	**प्रसंस्करण इकाइयाँ (दाल मिल्स)**
1	आंध्र प्रदेश	22
2	अरुणाचल प्रदेश	10
3	असम	25
4	बिहार	37
5	छत्तीसगढ़	22
6	गोवा	5
7	गुजरात	28
8	हरियाणा	5
9	हिमाचल प्रदेश	5
10	जम्मू एवं कश्मीर	5
11	झारखंड	22
12	लद्दाख	5
13	कर्नाटक	30
14	केरल	5
15	मध्य प्रदेश	55
16	महाराष्ट्र	34
17	मणिपुर	5
18	मेघालय	5
19	मिजोरम	5
20	नागालैंड	11
21	ओडिशा	16
22	पंजाब	5
23	पुदुचेरी	5
24	राजस्थान	30
25	सिक्किम	5
26	तमिलनाडु	21
27	तेलंगाना	16
28	त्रिपुरा	8
29	उत्तर प्रदेश	56
30	उत्तराखंड	9
31	पश्चिम बंगाल	16
	कुल	**528**

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जिलावार, हस्तक्षेपवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.सं.	जिला	ब्लॉक प्रदर्शन		प्रशिक्षण	
		वास्तविक (संख्या)	वित्तीय आवंटन (लाख में)	वास्तविक (संख्या)	वित्तीय आवंटन (लाख में)
1	श्रीकाकुलम	49	49	58	5.22
2	विजयनगरम	45	45	64	5.76
3	पार्वतीपुरम मान्यम	31	31	30	2.7
4	अल्लूरी सीता रामाराजू	20	20	69	6.21
5	विशाखापत्तनम	5	5	4	0.36
6	अनाकापल्ली	30	30	20	1.8
7	काकीनाडा	40	40	36	3.24
8	पूर्वी गोदावरी	10	10	6	0.54
9	एलुरु	40	40	39	3.51
10	कृष्ण	204	204	129	11.61
11	एनटीआर	5	5	59	5.31
12	गुंटूर	36	36	64	5.76
13	बापतला	120	120	84	7.56
14	पालनाडु	36	36	64	5.76
15	प्रकाशम	120	120	84	7.56
16	एसपीएसआर नेल्लोर	20	20	51	4.59
17	चित्तूर	4	4	11	0.99
18	तिरुपति	4	4	3	0.27
19	वाईएसआर	216	216	84	7.56
20	अन्नमय	5	5	64	5.76
21	अनंतपुरम	144	144	129	11.61
22	श्री सत्यसाईं	95	95	84	7.56
23	कुरनूल	112	112	84	7.56
24	नांदयाल	169	169	128	11.52
	कुल	**1560**	**1560**	**1448**	**130.32**

अनुबंध-III

राज्यवार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार, समर्थित लाभार्थियों की संख्या से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रं.सं.	**जिला**	**लाभार्थियों की सं.**	
		क्लस्टर प्रदर्शन	**प्रशिक्षण**
1	श्रीकाकुलम	588	1740
2	विजयनगरम	540	1920
3	पार्वतीपुरम मान्यम	372	900
4	अल्लूरी सीता रामाराजू	240	2070
5	विशाखापत्तनम	60	120
6	अनाकापल्ली	360	600
7	काकीनाडा	480	1080
8	पूर्वी गोदावरी	120	180
9	एलुरु	480	1170
10	कृष्णा	2448	3870
11	एनटीआर	60	1770
12	गुंटूर	432	1920
13	बापटला	1440	2520
14	पालनाडु	432	1920
15	प्रकाशम	1440	2520
16	एसपीएसआर नेल्लोर	240	1530
17	चित्तूर	48	330
18	तिरुपति	48	90
19	वाईएसआर	2592	2520
20	अन्नमया	60	1920
21	अनंतपुरम	1728	3870
22	श्री सत्यसाईं	1140	2520
23	कुरनूल	1344	2520
24	नांदयाल	2028	3840
	कुल	**18720**	**43440**

अनुबंध-IV

दिनांक 04.02.2026 तक दलहन मिशन के तहत वर्ष 2025-26 के लिए राज्यवार आवंटन निम्नानुसार है:

(**लाख रु. में**)

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटन (केंद्रीय हिस्सा)**
1	तमिलनाडु	582.240
2	मध्य प्रदेश	7429.670
3	कर्नाटक	1997.460
4	छत्तीसगढ़	642.010
5	ओडिशा	3356.860
6	बिहार	5176.440
7	उत्तराखंड	188.510
8	झारखंड	638.560
9	महाराष्ट्र	3965.129
10	पश्चिम बंगाल	3480.870
11	राजस्थान	7204.370
12	उत्तर प्रदेश	3008.780
13	असम	6528.250
14	तेलंगाना	337.900
15	आंध्र प्रदेश	1665.13
16	त्रिपुरा	373.940
17	मेघालय	22.780
18	हिमाचल प्रदेश	156.680
19	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	95.03
20	अरुणाचल प्रदेश	48.79
21	पंजाब	109.380
22	सिक्किम	1.460
23	नागालैंड	284.80
24	हरियाणा	435.300
25	गुजरात	601.40
26	केरल	29.340
27	गोवा	1.43

*****